



सेवा में,

# कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 371 क/12-1 देहरादून,

दिनांक

01

सितम्बर, 2016.

वन संरक्षक,  
शिवालिक वृत्त,  
देहरादून।

विषय:- झांझरा रेंज के अन्तर्गत स्वारना नदी से उप खनिज चुगान की अनुमति से सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/MIN/20542/2016. की आपत्तियों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार द्वारा ई0डी0एस0 में की गई आपत्ति दिनांक-26.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा की गई आपत्तियों का बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार है।

क्र0स0	प्रश्न	अपेक्षित प्रत्युत्तर
1.	Name of the project is not mentioned at designated place in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का आनलाईन निराकरण कर लिया गया है।
2.	Short narrative of the project does not give any information except the purpose.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर लिया गया है।
3.	village wise breakup of land is not given at designated pace in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्रामवार संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
4.	Component wise breakup is not given.'o' is mentioned in cimponent column.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5.	Geo- referenced map is provided in google earth image and only 4 geo-coordinates are given which is not sufficient.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
6.	DSS Analysis of the forest land proposed for diversion shows the area as 104.46 ha instead of 23.75 ha.	प्रत्यवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संशोधित सही मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
7.	Area shown in map appears to be surrounded by agriculture land and human habitations but, no village wise breakup of land is given. Moreover, it is stated to be the RF Land.	संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
8.	Justification for locating the project in forest land is not opening.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने संशोधित सूचना अपलोड कर दी है।
9.	C/B Analysis uploaded in online Part-I is not opening. In hard copy also the parameters have not been quantified and expressed in monetary terms.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने संशोधित सूचना अपलोड कर दी है।
10.	In FRA certificate issued by DC name of 4 villages are mentioned but Gram Sabha proceedings of 2 villages only submitted.	परियोजना क्षेत्र में तीन गाँव राजवाला, रामपुर भाऊवाला तथा रामपुरकला स्थित है जिनसे सम्बन्धित सूचना अपलोड कर दी गई है।
11.	Estimated reserve of RBM is mentioned as 2,16,000 million tones in online Part-I but mining Plan says that 2,16,000 metric tones will be extracted annually for 5 years. Moreover, estimated reserve is not mentioned as 21,60,000 million tones in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित सूचना अपलोड कर दी गई है।
12.	Proposed use of minerals in not mentioned in para-M-7.1(x) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड की गई है।
13.	No transplantation plan is submitted in para-M-7 (ii) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ट्रांसप्लान्टेशन से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
14.	District wise area is not given in online Part-II.	संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
15.	WP perescription is not given in online Part-II.	कार्ययोजना की संस्तुतियाँ यथास्थान अपलोड कर दी है। -
16.	Approximate distance is mentioned as 0.00 km in online Part-II.	प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन का भाग है जिसकी दूरी सही दी गई है।
17.	Details of WL is not given in online Part-II.	वन्य जीवों से सम्बन्धित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।



18	Geo referenced map for CA is submitted in google earth image with 4 geo-coordinates only which does not appears to be sufficient. DDS Analysis shows the area as 87.69 ha instead of 48.00 ha Further,27 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) category.	संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
19	In para- 14 of online Part-II (District profile), CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted.	देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि 9366.00 है0 के सापेक्ष प्रभाग द्वारा 2355.56 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक किया जाना है अद्यतन तिथि तक प्रभाग द्वारा कुल 1074.73 है0 क्षेत्र में रोपण किया गया है शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं जिन्हें प्रार्थमिकता के अधार पर पूर्ण किया जायेगा।
20	Patch wise details of CA area is not filled up in para-13(i) of online Part-II.	संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
21	Consent of Gram Sabha is not submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित ग्रामवासियों की सहमति पत्र प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के साथ संलग्न की है।
22	Details of Safety Zone as per para-4.7 of the guidelines and Minstry's letter No.- 11-125/2014-FC dated- 27.05.2016 has been submitted with the proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सेफ्टी जोन से सम्बन्धित के0एम0एल0 फाइल एवं तत्सम्बन्धी मानचित्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।